

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 369/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 21.09.2026

डॉ० अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश एवं नियंत्रण बनाये रखने तथा साइबर अपराध एवं साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग जैन व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री पंकज श्रीवास्तव** के मार्गदर्शन में आज दिनांक- 21.09.2026 को थाना मेंहनाजपुर पुलिस व साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा सहज जन सेवा केंद्र संचालक द्वारा ग्रामीणों के बैंक खातों से धोखाधड़ी कर धनराशि निकालने के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से ₹15,630/- नगद, 18 ATM/क्रेडिट कार्ड, 13 बैंक पासबुक, 04 आधार कार्ड, कूटरचित प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान की मुहर सहित भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किया गया।

थाना-मेंहनाजपुर, जनपद-आजमगढ़

सहज जन सेवा केंद्र संचालक द्वारा ग्रामीणों के बैंक खातों से धोखाधड़ी कर धनराशि निकालने का मामला, साइबर सेल एवं थाना मेंहनाजपुर की संयुक्त टीम ने 01 वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अभियुक्त के कब्जे से ₹15,630 नगद, 18 ATM/क्रेडिट कार्ड, 13 बैंक पासबुक, 04 आधार कार्ड, कूटरचित प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान की मुहर व अवैध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किया गया बरामद

घटना एवं गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 20.09.2026 को साइबर सेल आजमगढ़ को सहज जन सेवा केंद्र संचालक अनिल कुमार पुत्र सरभू राम, निवासी ग्राम जमुनीपुर, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध लोगों के साथ साइबर फ्रॉड एवं बैंक खातों से धोखाधड़ी कर धनराशि निकालने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना मेहनाजपुर पर मु0अ0सं0 83/2026, धारा 316(2) BNS व 66(C) IT Act, बढ़ोत्तरी धारा 336(3)/341(1)/317(2) BNS पंजीकृत है। शिकायत की जांच के दौरान साइबर सेल द्वारा तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से अभियुक्त की लोकेशन प्राप्त की गयी। प्राप्त लोकेशन एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर साइबर सेल आजमगढ़ एवं थाना मेहनाजपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अनिल कुमार, जो मोटरसाइकिल से अपने घर जमुनीपुर की ओर आ रहा था, को हिरासत में लिया गया। अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त होने की पुष्टि होने पर उसकी नियमानुसार तलाशी ली गयी, जिसमें उसके कब्जे से ₹15,630/- नगद, 03 मोबाइल फोन, 01 HP लैपटॉप, 02 माइक्रो ATM मशीन, 01 बायोमैट्रिक मशीन, 01 USB GPS रिसीवर मशीन, 18 ATM/क्रेडिट कार्ड, 13 बैंक पासबुक, 04 आधार कार्ड, 01 कूटरचित प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत चाकीडीह की 01 मुहर एवं मुहर लगे 03 हस्ताक्षरित सादे कागज बरामद हुए। बरामद मोटरसाइकिल के कागजात प्रस्तुत न कर पाने के कारण उक्त वाहन को धारा 207 एम0वी0 एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया। अभियुक्त को उसके अपराध से अवगत कराते हुए दिनांक 20.09.2026 को समय 21:10 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अनिल कुमार पुत्र सरभू राम, निवासी ग्राम जमुनीपुर, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 36 वर्ष।

अपराध करने का तरीका-

प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि सहज जन सेवा केंद्र के संचालन के दौरान वह ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से बैंक पासबुक, ATM कार्ड एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज अपने पास रख लेता था तथा उनके बैंक खातों से धोखाधड़ीपूर्वक धनराशि ट्रांसफर/निकासी करता था। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा ग्राम प्रधान की मुहर का दुरुपयोग कर कूटरचित/जाली प्रमाण पत्र तैयार किए जाने तथा लोगों के साथ धोखाधड़ी कर धनराशि का गबन किए जाने की बात भी प्रकाश में आई है। बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं दस्तावेजों की तकनीकी/फॉरेंसिक जांच तथा संबंधित बैंक खातों एवं लेन-देन के संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 83/2026, धारा 316(2), 336(3), 341(1), 317(2) BNS एवं धारा 66(C) IT Act, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण-

1. ₹15,630/- नगदा
2. 01 HP लैपटॉप
3. 02 माइक्रो ATM मशीन
4. 01 बायोमीट्रिक मशीन
5. 01 USB GPS रिसीवर मशीन
6. 03 मोबाइल फोन, जिसमें 01 Redmi एवं 02 अन्य मोबाइल फोन
7. विभिन्न बैंकों के 18 ATM/क्रेडिट कार्ड
8. 13 बैंक पासबुक
9. 04 आधार कार्ड
10. 01 फर्जी/कूटरचित प्रमाण पत्र
11. ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत चाकीडीह की 01 मुहर
12. मुहर लगे 03 हस्ताक्षरित सादे कागज
13. 01 मोटरसाइकिल HF Deluxe, लाल-काला रंग, जिसे धारा 207 एम.वी. एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

साइबर सेल, आजमगढ़

1. उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम — प्रभारी साइबर सेल
2. हे0का0 ओम प्रकाश जायसवाल
3. का0 श्याम कुमार
4. का0 सत्येन्द्र यादव

थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़

1. उ0नि0 दीपक कुमार
2. हे0का0 गुरुदयाल सिंह
3. हे0का0 पवन कुमार सिंह
4. रि0का0 गौरव मणि

